



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19092026-276315
CG-RJ-E-19092026-276315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4822]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4822]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 5012(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के सीकर जिले में रींगस-सीकर रेलवे लाईन के दोहरीकरण परियोजना (विशेष रेल परियोजना) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है :

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा:

प्रत्येक ऐसा आक्षेप 30 दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़, जिला-सीकर, राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर मण्डल में रींगस-सीकर दोहरीकरण परियोजना विशेष रेल परियोजना के लिए सीकर जिले के दांतारामगढ तहसील में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भूमि का प्रकार	अवास रकबा (व.मी. में)	अवास रकबा (हेक्टेयर में)
1	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	367	0.8900	बारानी 1	निजी	40.878	0.0041
2	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	352	0.5800	गै.मु.रास्ता	निजी	79.412	0.0079
3	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	279	0.9100	बारानी 1	निजी	948.05	0.0948
4	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	278	0.4200	चाही 4	निजी	805.576	0.0806
5	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	276	0.2000	गै.मु.रास्ता	सरकारी	77.011	0.0077
6	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	275	2.3600	चाही 4	निजी	5108.862	0.5109
7	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	269	0.4800	बारानी 1	निजी	4281.888	0.4282
8	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	270	2.1500	बारानी A	निजी	2064.843	0.2065
9	सीकर	दांतारामगढ	चक सुन्दरपुरा	271	2.0900	बारानी A	निजी	26.048	0.0026
							योग	13432.56	1.3433
10	सीकर	दांतारामगढ	बधाला की ढाणी	5058/2650	21.4900	चारागाह	सरकारी	37907.64	3.7908
11	सीकर	दांतारामगढ	बधाला की ढाणी	2698	0.8400	चारागाह	सरकारी	88.703	0.0089
12	सीकर	दांतारामगढ	बधाला की ढाणी	2699/4552	2.1100	चारागाह	सरकारी	1953.679	0.1954
योग								39950.02	3.9950
कुल योग								53382.59	5.33829

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction)]
NOTIFICATION

Jaipur, the 8th September, 2026

S.O. 5012(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act). The central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely " **Ringas-Sikar Doubling Railway Project (50.06 Km) Special Rail Project of the District Sikar in the state of Rajasthan**" hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection within 30 days shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Dataramgarh, District Sikar, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Detail of land to be acquired in Dataramgarh Tehsil of Sikar District in connection with Reengus-Sikar Doubling Special Railway Project

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Total Area in Jamabandi	Nature of Land	Type of Land	Acquired Area (In Sqm.)	Acquired Area (In Ha.)
1	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	367	0.8900	Barani 1	Private	40.878	0.0041
2	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	352	0.5800	Ge.Mu. Rasta	Private	79.412	0.0079
3	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	279	0.9100	Barani 1	Private	948.05	0.0948
4	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	278	0.4200	Chahi 4	Private	805.576	0.0806
5	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	276	0.2000	Ge.Mu. Rasta	Govt.	77.011	0.0077
6	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	275	2.3600	Chahi 4	Private	5108.862	0.5109
7	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	269	0.4800	Barani 1	Private	4281.888	0.4282
8	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	270	2.1500	Barani A	Private	2064.843	0.2065

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Total Area in Jamabandi	Nature of Land	Type of Land	Acquired Area (In Sqm.)	Acquired Area (In Ha.)
9	Sikar	Dataramgarh	Chak Sundarpura	271	2.0900	Barani A	Private	26.048	0.0026
Total								13432.56	1.3433
10	Sikar	Dataramgarh	Badhala Ki dani	5058/2650	21.4900	Charagha	Govt.	37907.64	3.7908
11	Sikar	Dataramgarh	Badhala Ki dani	2698	0.8400	Charagha	Govt.	88.703	0.0089
12	Sikar	Dataramgarh	Badhala Ki dani	2699/4552	2.1100	Charagha	Govt.	1953.679	0.1954
Total								39950.02	3.9950
Grand Total								53382.59	5.33829

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)